अध्याय–3

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस

3.1 कर प्रशासन

राज्य में मुद्रांक शुल्क (मु. शु.) एवं पंजीयन फीस (पं. फी.) से प्राप्ति का निर्धारण भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899; पंजीयन अधिनियम, 1908; भारतीय मुद्रांक नियम, 1975; छत्तीसगढ़ बाजार मुल्य मार्गदर्शिका निर्धारण एवं पुनरीक्षण नियम, 2000 तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इनके अधीन निर्मित नियमों द्वारा होता है। दस्तावेजों/विलेखों का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय में होता है और मुद्रांक शुल्क का आरोपण दस्तावेजों के निष्पादन पर एवं पंजीयन फीस दस्तावेजों के पंजीयन पर देय है। वरिष्ठ जिला पंजीयक (व. जि. पं.)/जिला पंजीयक (जि.पं.) का कार्य उप पंजीयक (उ.पं.) के प्रतिदिन कार्यों में मार्गदर्शन देना, जहाँ आवश्यक हो ऐसे प्रकरणों में मुद्रांकों के मूल्यांकन के संबंध में आदेश पारित करना, शास्ति, वापसी एवं उप पंजीयकों का निरीक्षण करना है।

सचिव, मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग शासन स्तर पर नीतियों के निर्धारण, निगरानी एवं नियंत्रण करने हेतु उत्तरदायी है। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक (म.नि.पं. एवं अ.मु.) पंजीयन विभाग का प्रमुख होता है, जिसकी सहायता हेतु दो उप महानिरीक्षक पंजीयन (उ.म.नि.पं.), 19 व.जि.पं./जि.पं. एवं 69 उ.पं. है। विभाग का संगठनात्मक संरचना **चार्ट 3.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: संगठनात्मक संरचना

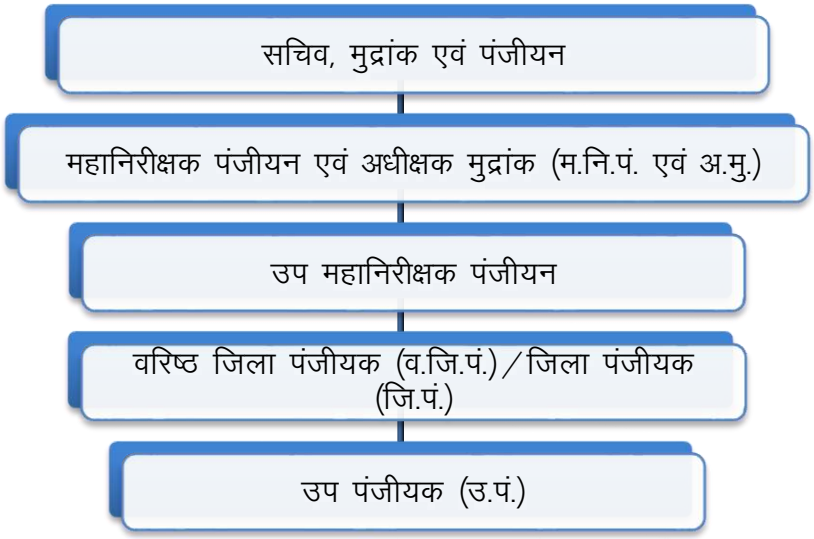

3.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई (आं.ले.इ.) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। यह संगठन को आश्वासित करता है कि निर्धारित प्रणालियाँ सुचारू रूप से कार्य कर रही है।

विभाग ने उत्तर में कहा (नवंबर 2018) कि आ.ले.इ. में दो सहायक आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी (स.आं.ले.प.अ.) के स्वीकृत पद हैं। हालांकि लेखापरीक्षा द्वारा यह देखा गया कि दोनो पद वर्ष 2015–16 से रिक्त है और इस अवधि में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य नहीं किया गया है। विभाग द्वारा उनके स्तर पर रिक्त पदों को भरने हेतु किये गये प्रयासों के संबंध में पूछे जाने पर, विभाग ने बताया कि, स.आं.ले.प.अ. के

रिक्त पदों को भरने के लिए संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन को पत्र भेजा गया है (अक्टूबर 2018)।

अनुसंशाः

शासन आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई को सुदृढ़ करने हेतु समर्पित कर्मचारियों की नियुक्ति करे।

3.3 लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा द्वारा 2017–18 में 114 इकाईयों में से पाँच[1] उप पंजीयकों के अभिलेखों की नमूना जांच की गई। लेखापरीक्षा द्वारा पाँच इकाईयों में 87,509 प्रकरणों में से 8,710 प्रकरणों की नमूना जांच की गई जो चयनित इकाईयों के कुल प्रकरणों का 9.95 प्रतिशत था। वर्ष 2016–17 में विभाग द्वारा ₹ 1,211.35 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया गया जिसमे से लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा ₹ 446.61 करोड़ प्राप्त किये गये। लेखापरीक्षा द्वारा 147 प्रकरणों में ₹ 4.37 करोड़ की अनियमिततायें पाई गयी जो **तालिका 3.1** में वर्णित है।

तालिका 3.1: लेखापरीक्षा परिणाम

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस में अनियमित छूट	1	0.99
2.	न्यून मुल्यांकन, दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण तथा मुद्रांक शुल्क का कम निर्धारण से राजस्व की हानि	146	3.38
योग		**147**	**4.37**

विभाग द्वारा पाँच प्रकरण जिसमें राशि ₹ 1.06 करोड़ सन्निहित है को स्वीकार किया गया। परंतु कोई वसूली नहीं की गई। शेष प्रकरणों में, लेखापरीक्षा द्वारा विभाग से अनुशीलन किया जा रहा है।

वर्ष 2017–18 में दो प्रारूप कंडिकाओं में सम्मिलित 16 प्रकरणों जिसमें राशि ₹ 2.23 करोड़ सन्निहित है जारी करने के उपरांत विभाग द्वारा न्यून मूल्यांकन/अनियमित छूट के चार प्रकरणों जिसमें राशि ₹ 1.05 करोड़ सन्निहित थी, को स्वीकार किया तथा तीन प्रकरणों में ₹ 0.06 करोड़ की वसूली की गयी।

3.4 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण

अवधि 2012–16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, लेखापरीक्षा द्वारा 10 कंडिकाओं के माध्यम से राशि ₹ 83.59 करोड़ की विभिन्न आक्षेप इंगित किये गये, जिसमें से विभाग द्वारा राशि ₹ 67.64 करोड़ को स्वीकारते हुए ₹ 0.27 करोड़ की वसूली की गयी।

लोक लेखा समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों 2003–04 से 2006–07, 2008–09, 2010–11 एवं 2012–13 की 19 कंडिकाओं का चयन किया गया एवं छः कंडिकाओं पर अनुशंसा (वर्ष 2003–04 से 2005–06 एवं 2008–09) प्रदान की गयी। सभी छः कंडिकाओं पर कार्रवाई टीप प्राप्त हो चुकी है।

[1] उ.पं; राजनांदगांव, दुर्ग, महासमुंद, रायपुर एवं जांजगीर

3.5 अस्वीकार्य छूट

छत्तीसगढ़ विशेष प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस राशि ₹ 1.11 करोड़ की अस्वीकार्य छूट

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बीमार/बन्द उद्योगों के पुनः संचालन/पुनः स्थापना हेतु बीमार/बन्द उद्योगों के विक्रय/पुनः विक्रय पर पंजीयन के समय औद्योगिक नीति 2014–19 के अंतर्गत विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 में मुद्रांक शुल्क (मु.शु.) एवं पंजीयन फीस (पं.फी.) के भुगतान से पूर्ण छूट अप्रैल 2017 को अधिसूचित की गई। तथापि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यह छूट को पूर्वव्यापी प्रभाव, 25 मई 2017 से वापिस (22 जून 2017) लिया गया था।

उद्योग विभाग द्वारा जारी छूट प्रमाणपत्र में उल्लेखित नियमों और शर्तों के अनुसार छूट प्रमाणपत्र जारी होने के तीन माह के अंदर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना आवश्यक है। पुनः छूट प्रमाणपत्र में कहीं भी दिये गये नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर दिया गया लाभ वापिस लिया जायेगा और लाभ लेने के दिनांक से उसकी वसूली 12.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज की दर से भू–राजस्व के बकाया के समान की जायेगी।

उप पंजीयक, जांजगीर के कार्यालय में पंजीकृत कुल 6,568 (पट्टा अनुबंध/विक्रय पत्र) दस्तावेजों में से 1,128 (17 प्रतिशत) की नमूना जांच (फरवरी 2018) में लेखापरीक्षा ने देखा कि, मे. महिन्द्रा पावर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा औद्योगिक क्षेत्र ग्राम मड़वा, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर चांपा में उपस्थित 28.34 एकड़ भूमि का विक्रय विलेख निष्पादित (जून 2017) किया गया। योजना के अंतर्गत कंपनी को उपरोक्त विक्रय विलेख के मूल्य ₹ 14.04 करोड़ पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के भुगतान से छूट प्राप्त (8 जून 2017) हुई। मे. महिन्द्रा पावर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा औद्योगिक भूमि 28.34 एकड़ मे. सूर्यचक्र ग्लोबल एनवाइरो पावर लिमिटेड से निलामी में क्रय की गई थी जो मे. इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनांस लिमिटेड के पास बंधक थी।

पुनः दस्तावेजों के नमूना जांच में पाया गया कि उद्योग विभाग द्वारा मे. सूर्यचक्र ग्लोबल एनवाइरो पावर लिमिटेड का बीमार/बंद उद्योग (पावर प्लांट) क्रय करने हेतु छूट प्रमाणपत्र (अप्रैल 2017) जारी किया गया था और दस्तावेज जून 2017 में पंजीकृत हुआ। लेखापरीक्षा द्वारा मे. महिन्द्रा पावर प्राईवेट लिमिटेड के अभिलेखों का प्रतिसत्यापन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र (जि.व्या.उ.के.), जांजगीर से करने पर पाया गया की उद्योग द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन का प्रारंभ अक्टूबर 2017 से किया गया था। दस्तावेज का पंजीयन (8 जून 2017) अधिसूचना के वापसी (25 मई 2017 से प्रभावशील) के पश्चात हुआ था, छूट प्रमाणपत्र में उल्लेखित तीन माह में वाणिज्यिक उत्पादन का प्रारंभ करने के नियमों एवं शर्तों का भी उल्लंघन किया गया।

लेकिन शासन के अधिसूचना (22 जून 2017) जो पूर्वव्यापी प्रभाव (25 मई 2017) से बीमार/बन्द उद्योग का विक्रय/पुनः विक्रय के पंजीयन के समय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के भुगतान से छूट प्रदाय करती थी, को वापस लिए जाने के बावजूद उप पंजीयक मे. महिन्द्रा पावर प्राईवेट लिमिटेड से ब्याज ₹ 12.37 लाख सहित मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 1.11 करोड़ वसूली करने हेतु कोई कार्रवाई करने में विफल रहे।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर (सितंबर 2018) शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2018) कि ₹ 98.98 लाख की मांग उठाई गयी है। पुनः वसूली संबंधी प्रगति अपेक्षित है (अगस्त 2019)।